नाम न्यायालय ACM(FT) शाहपुरा

केस संख्या 4/2018

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष टि
	30/4/18	पक्षकार उभय पक्ष उप./ P.O. लोक अदालत कैम्प में व्यस्त हैं। पत्रावली दिनांक 31/5/18 को पेश हो।	
रामजीलाल शर्मा रामस्वरूप शर्मा	31-5-18	आज पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प राडावास में पेश हुई, पक्षकारान उप.। पत्रावली में राजीनामा पेश हो चुका है। अतः राजस्व लोक अदालत की भावनानुसार राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाता है। मुकदमा खर्चा मुताल्लिक से लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) शाहपुरा जिला-जयपुर (राज.)	
	10/1/19	आज पत्रावली प्रार्थी के प्रार्थनापत्र 151,152 CPC के द्वारा पेश हुई, प्रार्थी के अधिवक्ता ने इस संबंध में निवेदन किया कि आदेश 31/5/18 को राजस्व लोक अदालत कैम्प राडावास में राजीनामे से प्र. स. 5/18 सीताराम बनाम सत्यनारायण वगै. डिक्री किया गया था। उक्त डिक्री में आ.ख. 241 रकबा 3.40 हे. के स्थान पर आ.ख.न. 241 रकबा 3.41 है लिपिकीय त्रुटि से लिखा गया। जिसे दुरुस्त किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को अवलोकन किया गया। प्रार्थी के प्र.पत्र की ताईद होती है। अतः डिक्री में आ.ख.न. 241 रकबा 3.40 हे. दुरुस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) शाहपुरा जिला-जयपुर (राज.)	

न्यायालय सहायक कल

पीठासीन अधिकारी

वाद संख्या

सीताराम पुत्र स्व0 भैर

1. सत्यनारायण
2. मांगीलाल
3. रामप्रसाद
4. गजानन्द
5. नर्बदा
6. श्रवण देवी

समस्त जाति ब्रा

7. राजस्थान सरकार

8. नान्छी पत्नी स्व0
9. गोपाल पुत्र स्व0
10. रामजीलाल पुत्र
11. रामस्वरूप पुत्र
12. ग्यारसीदेवी पुत्री
13. छोटी देवी पुत्री
14. कौशल्या देवी पु

समस्त जाति ब्र

दावा बाब

पत्राव

पक्षकारान रा

दिनांक 16.3.

वादी

खसरा नम्बर

रकबा 3.41

आराजी में

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री रवि विजय, आर ए एस

वाद संख्या :– 04/2018

उनवान

सीताराम पुत्र स्व0 भैरू जाति ब्राहम्ण निवासी राडावास तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

वादी

बनाम

1. सत्यनारायण
2. मांगीलाल
3. रामप्रसाद
4. गजानन्द

पि0 बद्री

5. नर्बदा
6. श्रवण देवी

पुत्री स्व0 बद्री

समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी राडावास तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

7. राजस्थान सरकार (भू धारक) जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

8. नान्छी पत्नी स्व0 भैरू
9. गोपाल पुत्र स्व0 भैरू
10. रामजीलाल पुत्र स्व0 भैरू
11. रामस्वरूप पुत्र स्व0 भैरू
12. ग्यारसीदेवी पुत्री स्व0 भैरू
13. छोटी देवी पुत्री स्व 0 भैरू
14. कौशल्या देवी पुत्र स्व0 भैरू

समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी राडावास तहसील शाहपुरा जिला जयपुर तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत इश्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी

निर्णय दिनांक 31.5.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प राडावास में पेश हुई । पक्षकारान राजस्व लोक अदालत कैम्प राडावास में उपस्थित आये एवं अपने अपने हस्ताक्षर कर दिनांक 16.3.2018 को प्रस्तुत राजीनामा अनुसार दावा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया ।

वादी के द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत किया गया कि विवादित आराजी खाता संख्या 632 के खसरा नम्बर 239 रकबा 0.26 है0, खाता सं0 633 के ख0नं0 238 रकबा 0.91 है0, ख0नं0 241 रकबा 3.41 (3-40) है0 भूमि वाके ग्राम राडावास तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है। जिसमें उक्त आराजी में प्रतिवादीगण के पिता ब्रदी पुत्र गोमा हिस्सा 1/4 के नाम खातेदारी में दर्ज के सम्बन्ध में यह वाद पत्र पेश किया गया है। वादी तरतीबी प्रतिवादी तथा प्रतिवादीगण एक ही हिन्दु खानदान परिवार के होकर आपस में सहदायिक है। वादी तरतीबी प्रतिवादी तथा प्रतिवादीगण के पूर्वज ज्ञानाराम के दो जायन्दा सन्तान क्रमशः गंगा व गोमा थे जिसमें गोमा अविवाहित ही फौत

सहायक कलक्टर एवं
पालक मजिस्ट्रेट(फास्ट ट्रेक)

हो गया था तथा गंगा के 2 पुत्र भैरू व बद्री आपस में सगे भाई है। गंगा के पुत्र भैरू जो कि वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के पिता है का स्वर्गवास दिनांक 8.7.2000 को तथा प्रतिवादीगण के पिता बद्री का स्वर्गवास दिनांक 6.11.1981 को होने पर वादी तरतीबी प्रतिवादी तथा प्रतिवादीगण उनके वारिसान है। इस प्रकार वादी तरतीबी प्रतिवादी तथा प्रतिवादीगण उनके वारिसान होकर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की प्रथम अनुसूची के द्वितीय वर्ग के उत्तराधिकारी रहे है जो बराबर बराबर मृतक गोमा की विरासत फलस्वरूप में प्राप्त करने के अधिकारी है चूंकि मृतक गोमा जो अविवाहित फौत हुआ है ने किसी अन्य को गोद नहीं लिया था तथा अपने जीवन काल में अपने भाई के पुत्रों के पास शामलाती में रहता था तथा अपने जीवनकाल में ही अपनी सम्पत्ति अपने भाई के पुत्रों को बराबर बराबर दिलवा कर उनके पास ही शामलाती में रहता आया था । वादी तरतीबी प्रतिवादी तथा प्रतिवादीगण मौके पर आपस में बराबर बराबर अर्थात मृतक गोमा के हिस्से की भूमि को 1/2, 1/2 को बांटकर कब्जा काश्त करते चले आ रहे है, लेकिन राजस्व रिकार्ड में बद्री के नाम गोमा के हिस्से में 1/2 आई भूमि तथा बद्री के पिता के नाम (गंगा) से विरासत में प्राप्त भूमि राजस्व रिकार्ड में सहवन से दर्ज हो गई । जबकि मौके पर बद्री व भैरू के वारिसान अर्थात वादी व प्रतिवादी बराबर बराबर हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। बद्री जो कि प्रतिवादीगण के पिता है, गोमा के गोद भी नहीं गया तथा राजस्व रिकार्ड में बद्री के नाम गंगा से प्राप्त विरासत की तथा गोमा के हिस्से की सम्पूर्ण भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । प्रस्तुत वाद पत्र को विधिवत दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किया गया । प्रतिवादीगण दिनांक 16.3.2018 को राजीनामा प्रस्तुत राजीनामा को कैम्प में डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया गया । प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखा गया । प्रस्तुत राजीनामा व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर पाया गया कि बद्री के नाम राजस्व रिकार्ड में गोमा के हिस्से की भूमि सहवन से दर्ज होना साबित होती है। बद्री गोमा के गोद नहीं गया था । वादी प्रतिवादीगण ने यह भी स्वीकार किया कि मौके पर हमारा बराबर बराबर हिस्से के अनुसार ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। राजीनामा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण तथा तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज की जावें । मुताबिक राजीनामानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया गया ।

अतः दावा राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए मुताबिक राजीनामानुसार वादी के हक में डिक्री किया जाता है कि आराजी खाता संख्या 632 के खसरा नम्बर 239 रकबा 0.26 है0, खाता सं0 633 के ख0नं0 238 रकबा 0.91 है0, ख0नं0 241 रकबा (3) 3.1408 (41) है0 भूमि वाके ग्राम राडावास तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में बद्री पुत्र गोमा हिस्सा 1/4 जाति ब्राह्मण के खातेदारी हक हकूक हफज किया जाकर वादी तथा तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 8 से 14 हिस्सा 1/8 तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 हिस्सा 1/8 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजीनामा निर्णय का जुर्ज रहेगा । तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को पर्चा डिक्री जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 31.5.2018 को कैम्प राडावास में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट(कैम्प कोर्ट)
शाहपुरा जिला-जयपुर (राज0)

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

स्थान :– राड़ावास दिनांक :– 31-5-2018

पीठासीन अधिकारी :– श्री रविसिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

(1) सीताराम पुत्र स्व. जौहरी पुत्र बद्री जाति- ब्राह्मण निवासी- राड़ावास तहसील शाहपुरा जयपुर (राज.)

वादी

बनाम

(1) सत्यनारायण (2) मांगीलाल (3) रामप्रसाद (4) गजानन्द (5) नर्बदा (6) भगवती देवी पुत्रान/पुत्री स्व. बद्री समस्त जाति- ब्राह्मण निवासी- राड़ावास तह- शाहपुरा जयपुर
(7) राज. सरकार जरिए तहसीलदार शाहपुरा जयपुर
(8) नान्दी पत्नी स्व. जौहरी (9) गोपाल (10) रामजीलाल (11) रामस्वरूप पुत्र स्व. जौहरी
(12) ग्यारसी देवी (13) छोटी देवी (14) कौशल्या देवी पुत्रीयान स्व. जौहरी जाति- ब्राह्मण निवासी- राड़ावास तह- शाहपुरा जयपुर

प्रतिवादीगण

तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत :-- 88, 89, 188 R.T. Act 1955

मुकदमा नम्बर :– 4/2018

निर्णय दिनांक :– 31-5-2018

अतः राजा राजस्व लोक अदालत की भावना से मुताबिक राजीनामा-नुसार वादी के हक में डिक्री किया जाता है कि आ-खाता स. 632 के ख.न. 239 रकबा 0.26 हे.; खाता स. 633 के ख-न. 238 रकबा 0.91 हे., ख-न. 241 रकबा 3.41 हे. भूमि वाके ग्राम राड़ावास तहसील शाहपुरा जयपुर में बद्री पुत्र गोमा हिस्सा 1/4 जाति ब्राह्मण के खातेदारी हक हकूक दफ्ज किया जाकर वादी तथा तरतीबी प्रतिवादीगण स. 8 से 14 हिस्सा 1/8 तथा प्रति. स. 1 से 6 हिस्सा 1/8 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजीनामा डिक्री का जुज रहेगा।
तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।
पक्षकार खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

मुकदमा तारीख 31-5-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

आदेश उपरोक्त 8-1-2019
आ-ख-न. 241 रकबा 3.40 हे. समझा जावे।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक
शाहपुरा जिला-जयपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर शाहपुरा (जयपुर)
शाहपुरा जिला--जयपुर (राज.)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	/
जोड़		जोड़	

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

स्थान :– राडावास दिनांक :– 31-5-2018

पीठासीन अधिकारी :– श्री रविविजय (आर.ए.एस)

उनवान

(1) सीताराम पुत्र स्व. जौहरी उम्र 76 वर्ष जाति- ब्राह्मण निवासी- राडावास तहसील शाहपुरा जयपुर (राज.)

वादी

बनाम

(1) सत्यनारायण (2) मांगीलाल (3) रामप्रसाद (4) गजानन्द (5) नर्बदा (6) श्रवणदेवी पुत्रान/पुत्री स्व. बद्री समस्त जाति- ब्राह्मण निवासी- राडावास तह. शाहपुरा जयपुर
(7) राज. सरकार जरिए तहसीलदार शाहपुरा जयपुर
(8) नान्दी पत्नी स्व. जौहरी (9) गोपाल (10) रामजीलाल (11) रामस्वरूप पुत्र स्व. जौहरी
(12) ग्यारसी देवी (13) छोटी देवी (14) कौशल्या देवी पुत्रीयान स्व. जौहरी जाति- ब्राह्मण निवासी- राडावास तह. शाहपुरा जयपुर
प्रतिवादीगण

तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत :-- 88, 89, 188 R.T. ACT 1955

मुकदमा नम्बर :– 4/2018

निर्णय दिनांक :– 31-5-2018

अतः दावा राजस्व लोक अदालत की भावना से मुताबिक राजीनामा-नुसार वादी के हक में डिक्री किया जाता है कि आ. खाता सं. 632 के ख. नं. 239 रकबा 0.26 हे., खाता सं. 633 के ख. नं. 238 रकबा 0.91 हे., ख. नं. 241 रकबा 3.41 हे. भूमि वाके ग्राम राडावास तहसील शाहपुरा जयपुर में बद्री पुत्र गोमा हिस्सा 1/4 जाति ब्राह्मण के खातेदारी हक हकूक खारिज किया जाकर वादी तथा तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 8 से 14 हिस्सा 1/8 तथा प्रति. सं. 1 से 6 हिस्सा 1/8 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजीनामा डिक्री का जुज रहेगा।
तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।
पक्षकार खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

आज तारीख 31-5-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

आदेश दिनांक [illegible]-1-2019
आ. ख. नं. 241 रकबा 3.40 हे. समझा जावे।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा जिला-जयपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलक्टर शाहपुरा (जयपुर)
शाहपुरा जिला--जयपुर (राज.)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	/
जोड		जोड	